क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्र में हमारे देश में निरन्तर घुसपैठ जारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और ?

(ग) पिछले दो वर्षों से आज तक घुसपैठ के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) बंगलादेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में घुसपैठ करने के बारे में भारत सरकार को जानकारी है ।

(ख) बंगलादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्न-लिखित सम्मिलित हैं :—

1. सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर गश्त और निगरानी गहन करना ;

2. बेहतर निगरानी के लिए सीमा के साथ निगरानी बुर्जों का निर्माण करना ;

3. सीमा पर तैनात किए गए सैनिकों को नाइटविजन डिवाइज, दूरबीन, गोगल्स, ट्विन टेलीस्कोप, हैण्ड-हैल्ड सर्च लाइट इत्यादि दिए गए है ;

4. नदी तटीय क्षेत्रों में सीमा पर गश्त के लिए देशी मोटर बोट उपलब्ध कराई गई है ;

5. भारत बंगलादेश सीमा की संवेदन-शील टुकड़ियों पर सड़क निर्माण और तार लगाने की परियोजना को तेज करना ;

6. प्रभावित राज्यों में, विदेशियों की घुसपैठ को रोकने की योजना और मोबाइल टास्क फोर्स को स्वीकृति देना ; और

7. असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में पहचान पत्र जारी करने की योजना प्रारम्भ करना ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पकड़े गए बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1991	83,868
1992 (अक्तूबर तक)	48,891

विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 में संशोधन

1092. श्री राम नरेश यादव :
श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में स्थित पर्यटक स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई कमी आई है; और

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने उपरोक्त आदेश को वापस लेने/संशोधित करने का अनुरोध किया है; यदि हां तो इस संबंध में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सम्पूर्ण असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम की दक्षिणी सीमा से इनर लाइन तक सिक्किम का पूरा क्षेत्र तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं ।

(ख) जी नहीं । चूंकि असम, मेघालय, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में पर्यटकों की रूचि संबंधी अतिरिक्त स्थान विदेशी पर्यटक ग्रुपों के लिए खोले गए हैं या खोले जा रहे हैं इसलिए विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच की गई। तदनुसार, पर्यटन उन्नयम और राष्ट्रीय सुरक्षा की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जहां भी कहीं संभव है, कुछ छूट दी गई है।

Deployment of BSF and other Paramilitary Forces in Andhra Pradesh

1093. SHRI MENTAYPADMANABHAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the date from which Border Security Force or all other paramiliary forces have been deployed in Andhra Pradesh to counter the Nexalite activity;

(b) the number of battalions so deployed;

(c) the casualities suffered by the para military forces as on date;

(d) whether Government propose to deploy additional forces; and

(e) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Certain PMFs have been deployed in Andhra Pradesh since January, 1991 to counter the Naxalite activity.

(b) It will not be in the public interest to disclose the information on the floor of the House.

(c) the casualities suffered by the paramilitary forces as on date are 36.

(d) and (e) Additional paramilitary forces can be deployed according to the requirement of the State and also keeping in view the availability of the forces and demands from other States/UTs.

Increasing Child Rapes

1094. SHRI PRAMOD MAHAJAN
DR. SANJAYA SINGH :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of increasing cases of child rape in the country; and

(b) if so, what remedial action has been taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB) : (a) Yes, Sir.

(b) The registration, investigation, detection and prevention of crimes including those against children are the responsibility of the State Governments/Union Territory Administrations. It is for the State Governments to take remedial action in these cases.

मध्य प्रदेश पुलिस वाहिनी को असम में तैनात किया जाना

1095. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश पुलिस वाहिनी को असम में कब से तथा किसके निर्देशों पर तैनात किया गया है ;

(ख) असम में तैनात उक्त वाहिनी पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है और प्रतिपूर्ति की इस राशि के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस वाहिनी की वापसी की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वाहिनी को कब तक वापस भेज दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारत सरकार के निदेशों पर मध्य प्रदेश राज्य सशस्त्र बल की चार कम्पनियां 1-4-85 से असम में तैनात की गई हैं।